राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 25/2010

बाबूलाल पुत्र मोतीलाल जाति बैरवा निवासी मालबमोरी तह0 मांगरोल जिला बारां

.... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री मनोज आर्य

दायरा दिनांकः 17.05.2010

निर्णय दिनांक : 11.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 249 में खसरा नं0 385 रकबा 0.10 है0 एवं खसरा नं0 387 रकबा 0.36 है0 स्थित है, जिसकी एक मात्र खातेदार प्रार्थी की मां पाना बाई पत्नि मोतीलाल जाति बैरवा निवासी माल बमोरी के खाते दर्ज है। वर्तमान में प्रार्थी मा पाना बाई का देहान्त हो चुका है, तथा वर्तमान में प्रार्थी की उक्त आराजी काश्त कर रहा है। तथा प्रार्थी की और से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त वर्णित आराजी के नवीन जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 में खाता संख्या 124 में खसरा नं0 1501 रकबा 0.34 है0 आराजी दर्ज है। सेटलमेंट के बाद उक्त आराजी का पुराना रकबा सम्वत 2055 से 2058 की जमाबंदी में 0. 46 है0 दर्ज है, जबकि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 में कुल 0.34 है0 ही दर्ज किया गया है। जो सेटलमेंट कार्मिको की गलती की वजह से हुआ है। दौराने बन्दोबस्त वर्तमान जमाबंदी में पूर्व की जमाबंदी के मुकाबले 0.12 है0 आराजी कम दर्ज की गई है जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अतः राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 खाता संख्या 249 में खसरा नं0 385 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 387 रकबा 0.36 है0 के अनुसार वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 में रकबा 0.34 है0 में कमी रकबा 0.12 है0 जोड कर वर्तमान खसरा नं0 1501 रकबा 0.46 है0 दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार मांगरोल से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्रांकः भू.अ./2017/केम्प मालबमोरी/7 दिनांक 11.07.2017 के द्वारा अंकन किया कि ग्राम मालबमोरी के खसरा नं0 385 रकबा 0.10 एवं खसरा नं0 387 रकबा 0.36 है0 जमाबंदी सं0 2055–58 में प्रार्थी के नाम दर्ज था इसके पश्चात उक्त

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

...रा नं0 में राज्य सरकार की योजनानुसार केचमेंन्ट कार्य हो जाने से विभाग ने नये खसरा नं0 1501 रकबा 0.34 हे0 दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी का 0.12 हे0 रकबा केचमेंन्ट के द्वारा कम किया गया है। उक्त परिस्थिति के अनुसार प्रार्थी का रकबा पूर्ति किया जाना संम्भव नही है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी ने बाद सेटलमेंट हुई कमी रकबे की पूर्ति करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में कमी सेटलमेंट कार्य के दौरान होना बताया है, जांच करने पर समीपस्थ किसी भी खसरा नम्बरान में रकबा बढा हुआ नही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नही किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है। तथा ना ही मिलान क्षेत्रफल संलग्न किया है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प माल बमोरी मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल